न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन, बॉसगॉव–गोरखपुर।

सिविल वाद संख्या– 754/1999

रामअवध––––बनाम–––––––– बालेश्वर

<u>निस्तारण प्रार्थना–पत्र 39 क–2</u>

<u>दिनांक 08.09.2022:–</u>

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर वादी जरिए अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 39क–2 नियत है। प्रार्थना–पत्र 39क–2 वादी की तरफ से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी संख्या–1 बालेश्वर दिनांक 09.05.2004 को फौत कर गये हैं। उनकी पत्नी उनके जीवनकाल में ही स्वर्गवासी हो गयी थी। उनके विधिक वारिस उनके पुत्रगण हैं। अतः वाद–पत्र में प्रतिवादी सं01 की वरासत की कार्यवाही करते हुए उसके नाम के आगे शब्द 'मृतक दौरान मुकदमा' दर्ज कर

1/1– नवरतन तिवारी,

1/2– प्रेम नरायन तिवारी,

1/3– जगत नरायन तिवारी,

1/4– कृष्ण मुरारी तिवारी,

1/5– कमलेश तिवारी,

1/6– जगलेश तिवारी

सभी वयस्क पुत्रगण–स्वर्गीय बालेश्वर तिवारी, सभी निवासीगण– ग्राम–भीता, तप्पा–पाली, परगना– धुरियापार, तहसील–बॉसगॉव, जिला–गोरखपुर को प्रतिष्ठापित किए जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथ–पत्र 40ग प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है।

सुना तथा पत्रावली अवलोकित। प्रार्थना–पत्र समय अन्दर है। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है और न ही कोई नया केस सेटअप हो रहा है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र 39क–2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 39क–2 स्वीकार किया जाता है। संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 03.10.2022 को पेश हो। टी0आई0 नियत तिथि तक प्रभावी रहेगी।

सिविल जज, जू0डि0, बॉसगॉव
गोरखपुर।